

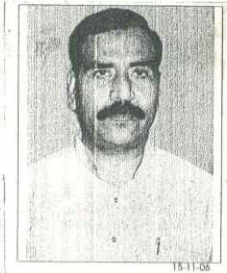
16012

17  
7



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

178722



1. भूमि का प्रकार - कृषि भूमि
  2. मोहल्ला/ग्राम...मौजा आन्धोर तहसील व जिला मथुरा
  3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 4.711 हैक्टेयर का हिस्सा 1/8
  4. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
  5. पेडों का मूल्यांकन..नहीं
  6. बोरिंग/कुआ/अन्य..नहीं
  7. प्रतिफल की धनराशि..... 873000/-रुपये
  8. स्टाम्प हेतु मालियत 873486/-रुपये
  9. स्टाम्प देय 87400/-रुपये जिसमें से 25000/-रुपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक-24.3.2006 प्रलेख संख्या-3473 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 62500/-रुपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र द्वारा अदा किया जा रहा है
  10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 600000/-रुपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 39 क्रमांक 1 पर दर्ज है।
- कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा -द्वितीय।  
विक्रेता की संख्या ( )  
विक्रेता का विवरण  
बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री केसी व श्रीमती किरनदेई पत्नी स्व0 श्री केसी निवासीगण ग्राम आन्धोर तहसील व जिला मथुरा  
क्रेता की संख्या (1)  
क्रेता का विवरण

श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा

बाबूलाल  
किरणदेई  
Pranav



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH  
STAMP

13 DEC 2006

Sr. T.O. Mathura

B 67038

(2)

हमकि बाबूलाल पुत्र स्व० श्री केसी व श्रीमती किरनदेई पत्नी स्व० श्री केसी निवासी गण  
ग्राम आन्धोर तहसील व जिला मथुरा के हैं।

जो कि आराजी सक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर-160 व खसरा नंबर-65 रकवा 4.711  
हैक्टेयर लगानी 85.65 रुपये सालाना बाकै मौजा आन्धोर तहसील व जिला मथुरा का  
हिस्सा 1/8 मिलिकयत हमारी है और सरकारी कागजात माल में हमारा नाम बर्हसियत  
मालिक दर्ज है। जिस हिस्से 1/8 पर हमारा कब्जा है और जिसके विषय में हमको  
हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक  
साफ है जिस हिस्सा 1/8 में सिवाय हमारे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध  
नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो हमारे हिस्से 1/8 का बैनामा करने  
में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक  
आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि  
बेची जाने वाली आराजी हिस्सा 1/8 एक मात्र पाक साफ मिलिकयत हमारी ही है मौजे  
की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 600000/-रुपया  
प्रति एकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी हिस्सा 1/8 की स्टाम्प हेतु मालियत  
873486/-रुपया है कृषी से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय  
कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में हमारा सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को  
कहीं भी लगा देने से हमको एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी अतः उक्त आराजी  
हिस्सा 1/8 को समस्त अधिकारों सहित जो हमको प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो

बाबूलाल  
किरनदेई  
A. K. Mathur



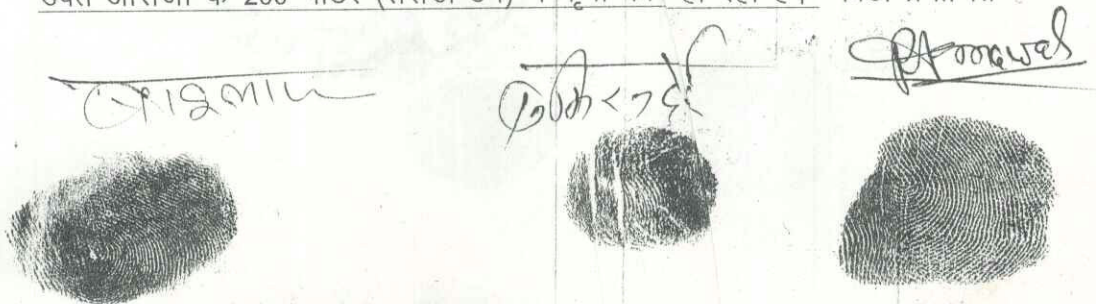
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 67038



(3)

सकते हों वएवज 873000/-आठ लाख तिहत्तर हजार रुपये जिसके आधे 436500/-चार लाख छत्तीस हजार पांच सौ रुपया होते हैं। बदस्त श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 500000/-रुपया खरीदार से बतौर पैशगी इकरारनामा द्वारा पाये व 373000/-रुपये पहले पाकर बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/8 पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी हिस्सा 1/8 को सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लाये और स्वयं जो चाहे सो करे अब हमको व हमारे वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/8 के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रुपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब हमारे जिम्मे है और खरीदार वह सब हमसे व हमारे वारिसानों व हमारी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्च के बसूल करलें । आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता व केता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। विक्रेता अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा अन्य किसी भी व्यक्ति से तय नहीं किया है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित



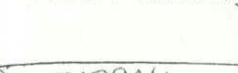
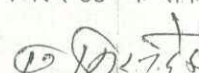
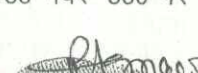
178724



(4)

1. [REDACTED]  
2. [REDACTED]  
3. [REDACTED]  
4. [REDACTED]  
5. [REDACTED]  
6. [REDACTED]  
7. [REDACTED]  
8. [REDACTED]  
9. [REDACTED]  
10. [REDACTED]  
11. [REDACTED]  
12. [REDACTED]  
13. [REDACTED]  
14. [REDACTED]  
15. [REDACTED]  
16. [REDACTED]  
17. [REDACTED]  
18. [REDACTED]  
19. [REDACTED]  
20. [REDACTED]  
21. [REDACTED]  
22. [REDACTED]  
23. [REDACTED]  
24. [REDACTED]  
25. [REDACTED]  
26. [REDACTED]  
27. [REDACTED]  
28. [REDACTED]  
29. [REDACTED]  
30. [REDACTED]  
31. [REDACTED]  
32. [REDACTED]  
33. [REDACTED]  
34. [REDACTED]  
35. [REDACTED]  
36. [REDACTED]  
37. [REDACTED]  
38. [REDACTED]  
39. [REDACTED]  
40. [REDACTED]  
41. [REDACTED]  
42. [REDACTED]  
43. [REDACTED]  
44. [REDACTED]  
45. [REDACTED]  
46. [REDACTED]  
47. [REDACTED]  
48. [REDACTED]  
49. [REDACTED]  
50. [REDACTED]  
51. [REDACTED]  
52. [REDACTED]  
53. [REDACTED]  
54. [REDACTED]  
55. [REDACTED]  
56. [REDACTED]  
57. [REDACTED]  
58. [REDACTED]  
59. [REDACTED]  
60. [REDACTED]  
61. [REDACTED]  
62. [REDACTED]  
63. [REDACTED]  
64. [REDACTED]  
65. [REDACTED]  
66. [REDACTED]  
67. [REDACTED]  
68. [REDACTED]  
69. [REDACTED]  
70. [REDACTED]  
71. [REDACTED]  
72. [REDACTED]  
73. [REDACTED]  
74. [REDACTED]  
75. [REDACTED]  
76. [REDACTED]  
77. [REDACTED]  
78. [REDACTED]  
79. [REDACTED]  
80. [REDACTED]  
81. [REDACTED]  
82. [REDACTED]  
83. [REDACTED]  
84. [REDACTED]  
85. [REDACTED]  
86. [REDACTED]  
87. [REDACTED]  
88. [REDACTED]  
89. [REDACTED]  
90. [REDACTED]  
91. [REDACTED]  
92. [REDACTED]  
93. [REDACTED]  
94. [REDACTED]  
95. [REDACTED]  
96. [REDACTED]  
97. [REDACTED]  
98. [REDACTED]  
99. [REDACTED]  
100. [REDACTED]

राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। मुख्तारनामा आम दिनांक-30.12.2003 जिसका निबंधन कार्यालय उ०नि० मथुरा में बही नंबर-4 जिल्द 33 के सफा 163 / 166 नंबर-560 पर

178750



(5)

1. ~~...~~

2. ~~...~~

3. ~~...~~

4. ~~...~~

5. ~~...~~

6. ~~...~~

7. ~~...~~

8. ~~...~~

9. ~~...~~

10. ~~...~~

11. ~~...~~

12. ~~...~~

13. ~~...~~

14. ~~...~~

15. ~~...~~

16. ~~...~~

17. ~~...~~

18. ~~...~~

19. ~~...~~

20. ~~...~~

21. ~~...~~

22. ~~...~~

23. ~~...~~

24. ~~...~~

25. ~~...~~

26. ~~...~~

27. ~~...~~

28. ~~...~~

29. ~~...~~

30. ~~...~~

31. ~~...~~

32. ~~...~~

33. ~~...~~

34. ~~...~~

35. ~~...~~

36. ~~...~~

37. ~~...~~

38. ~~...~~

39. ~~...~~

40. ~~...~~

41. ~~...~~

42. ~~...~~

43. ~~...~~

44. ~~...~~

45. ~~...~~

46. ~~...~~

47. ~~...~~

48. ~~...~~

49. ~~...~~

50. ~~...~~

51. ~~...~~

52. ~~...~~

53. ~~...~~

54. ~~...~~

55. ~~...~~

56. ~~...~~

57. ~~...~~

58. ~~...~~

59. ~~...~~

60. ~~...~~

61. ~~...~~

62. ~~...~~

63. ~~...~~

64. ~~...~~

65. ~~...~~

66. ~~...~~

67. ~~...~~

68. ~~...~~

69. ~~...~~

70. ~~...~~

71. ~~...~~

72. ~~...~~

73. ~~...~~

74. ~~...~~

75. ~~...~~

76. ~~...~~

77. ~~...~~

78. ~~...~~

79. ~~...~~

80. ~~...~~

81. ~~...~~

82. ~~...~~

83. ~~...~~

84. ~~...~~

85. ~~...~~

86. ~~...~~

87. ~~...~~

88. ~~...~~

89. ~~...~~

90. ~~...~~

91. ~~...~~

92. ~~...~~

93. ~~...~~

94. ~~...~~

95. ~~...~~

96. ~~...~~

97. ~~...~~

98. ~~...~~

99. ~~...~~

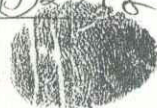
100. ~~...~~

दिनांक-30.12.2003 हुआ है, के द्वारा मुझ राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली उठेरान शहर मथुरा को कंता श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहूर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा कराने कीमत का रूपया अदा करने व बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार

Prizma

15/02/85

Ames





(6)

प्राप्त हैं। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि०-2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर-6 खण्ड 123 के सफा 105/108 पर नंबर-441 पर दिनांक-2.8.2006 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं। बेचे जाने वाली आराजीकी स्टाम्प हेतु मालियत 873486/-रुपये है जिस पर 87400/-रुपये का स्टाम्प देय है जिसमें से 25000/-रुपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक-24.3.2006 प्रलेख संख्या-3473 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 62500/-रुपये का स्टाम्प इस विकय पत्र द्वारा अदा किया जा रहा है  
लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

नोट : सफा 4 की लाइन 1 लगायत 18 व सफा 5 की लाइन 1 लगायत 12 पूरी स्केज स्याही से कटे हैं।

दिनांक-16.12.2006

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा  
झाफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा ।

Three fingerprints and handwritten signatures are visible. The first signature is on the left, the second in the middle, and the third on the right.

गोपाल कृष्ण झारिया (मथुरा)  
सुभाष कुमार चतुर्वेदी (मथुरा)

गोपाल कृष्ण झारिया (मथुरा)  
सुभाष कुमार चतुर्वेदी (मथुरा)

कमांक  
नाम  
राज

जनरल स्टाम्प कोमत

96/94/24

29

24

निष्ठ

मुरारी लाल शर्मा

स्टाम्प विक्रेता ला 10 नं 13 सन 88

मथुरा रजिस्ट्री मथुरा



आज दिनांक 16/12/2006 को

वही सं 1 जिल्द सं 2135

पृष्ठ सं 69 से 82 पर कमांक 16012

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मौहम्मद सलमान

उप निबन्धक (द्वितीय)

मथुरा

16/12/2006

